न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 21/2023

अपीलार्थी

रामलाल पुत्र छोगाजी, जाति– कुम्हार, निवासी– गोल, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) डायालाल पुत्र हीरारामजी, जाति–कुम्हार, निवासी–गोल, तहसील व जिला–सिरोही
(2) तहसीलदार, सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अपीलार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री चेतन रावल, प्रत्यर्थी संख्या 1 (डायालाल) की ओर से
(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा पटवारी हल्का, गोल को प्रत्यर्थी संख्या–1 (डायालाल) के प्रार्थना पत्र के संबंध में रास्ता खुलवाने हेतु उक्त पत्र प्रार्थना पत्र पर दिये गये आदेश क्रंमाक/राजस्व/2023/677 दिनांक 24.5.2023 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (डायालाल) की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी की कृषि भूमि ग्राम गोल, पटवार हल्का गोल में खसरा संख्या 480 रकबा 0.9100 हेक्टेयर आई हुई है। प्रत्यर्थी डायालाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 484, 349, 350, 353, 354, 458, 461, 462, 464, 465, 466 व 467 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता कदीमी से खसरा संख्या 461 से लगते हुए आया हुआ है जहां पर ग्रेवल रास्ता बना हुआ है और ट्रेक्टर इत्यादि भी वहीं से आते जाते है, लेकिन वर्तमान में अपीलार्थी के कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में आई हुई ग्रेवल सड़क को पक्की डामर सडक बनाई है जिससे प्रत्यर्थी डायालाल ने अपने लिये नजदीकी रास्ता प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 90/2023 उर्मिला देवी व अन्य के विरुद्ध यह कथन करते हुए पेश किया है कि मेरा कदीमी से रास्ता खसरा संख्या 485 व 486 में से आया हुआ है एवं यह प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें 20 फीट चौडे रास्ते की मांग की है। उक्त प्रकरण संख्या 90/2023 के विचाराधीन रहते हुए प्रत्यर्थी डायालाल ने प्रत्यर्थी तहसीलदार, सिरोही के समक्ष आवेदन देकर अपीलार्थी के खातेदारी कृषि भूमि संख्या 480 में से रास्ता होना बताकर प्रत्यर्थी तहसीलदार सिरोही, हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को लेकर दिनांक 24.7.2023 को मौक पर गये व अपीलार्थी की भूमि की बाड़ तोडकर रास्ता बनाने का प्रयास किया। अपीलार्थी की बोई हुई फसल को भी

....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

नुकसान पॅहुचाया और तारबंदी करने लगे तथा मौका फर्द दिनांक 24.7.2023 में अपीलार्थी की भूमि को रामलाल वगैराह की संयुक्त खातेदारी भूमि बताते हुए रमेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर रमेश कुमार को रास्ता खुला रखने तथा डायालाल को स्थायी रास्ता आवंटन होने तक रास्ता बन्द नही करने की हिदायत दी गई, जबकि न तो उक्त कृषि भूमि रमेश कुमार की है तथा ना ही रामलाल के साथ रमेश सह खातेदार है, ना ही प्रत्यर्थी डायालाल कभी उक्त कृषि भूमि से आता जाता है एवं ना ही अपीलार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता रहा है। प्रत्यर्थी तहसीलदार, सिरोही ने जिस जगह पर रास्ता खोलने की कारवाई की है, वहां से बरसाती पानी आता जाता है और बरसाती पानी के नाले के रुप में छोडी हुई भूमि को रास्ता मानकर गलत रुप से कांटो की बाड हटाकर अपीलार्थी की कृषि भूमि से रास्ता देने की कारवाई की है, जबकि प्रत्यर्थी डायालाल अपना रास्ता खसरा संख्या 485 व 486 में होना बता रहा है और प्रार्थना पत्र भी खसरा संख्या 485 व 486 में से रास्ते हेतु ही दिया है और दूसरी तरफ, तहसीलदार, सिरोही के द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 480 में से जबरन रास्ता खुलवाया जा रहा है जिस हेतु तहसीलदार, सिरोही द्वारा न तो कोई कानून की पालना की गई और ना ही अपीलार्थी का सुनवाई का अवसर दिया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अर्न्तगत सीधे तहसीलदार को रास्ता खुलवाने का अधिकारी नही है, क्योंकि तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अर्न्तगत रास्ता खुलवाने की अधिकार तब ही प्राप्त होता है जब संबंधित ग्राम पंचायत में रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया हो और ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन की विनिश्चय समय सीमा में प्रार्थना पत्र की सुनवाई नही की हो, लेकिन प्रत्यर्थी डायालाल ने ग्राम पंचायत में रास्ते के संबंध में कोई कारवाई नही की है तथा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत या तहसीलदार द्वारा कारवाई करने से पूर्व सुनवाई हेतु कोई नोटिस नही दिया है। इस कारण से तहसीलदार, सिरोही का उक्त आदेश दिनांक 24.5.2023 गलत एवं विधि विरुद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 24.5.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या—1 (डायालाल) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी डायालाल की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गोल, पटवार हल्का गोल में स्थित है जिसके खसरा संख्या 484, 349, 350, 353, 354, 458, 461, 462, 464, 465, 467 है। प्रत्यर्थी अपने उक्त कृषि भूमि में कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर रहा है। उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 485 व 486 से लगती हुई है तथा गोल से उड जाने वाले रास्ते पर स्थित है। प्रत्यर्थी डायालाल की कृषि भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 485 व 486 में कई वर्षो से पगदण्डी के रुप में रास्ता है जिसका प्रत्यर्थी डायालाल व अन्य लोग उपयोग करते आ रहे है। प्रत्यर्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु यहीं एक मात्र रास्ता है व इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही हैं। प्रत्यर्थी डायालाल व अन्य खातेदारों द्वारा उक्त कृषि भूमि में ज्वार व कपास बोई हुई है तथा खसरा संख्या 485 व 486 के खातेदार में से एक खातेदार रमेश कुमार पुत्र छोगाराम जी कुम्हार द्वारा कांटो की बाड से रास्ता बन्द कर देने पर प्रत्यर्थी डायालाल ने अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खुलवाने के लिये तहसीलदार, सिरोही को दिनांक 19.5.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरोही के पत्रांक/राजस्व/677 दिनांक 24.5.2023 से मूल ही पटवारी हल्का गोल को मौके व राजस्व रेकर्ड के आधार पर रास्ता खुलवाने के आदेश के साथ अग्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी डायालाल के उक्त प्रार्थना पत्र की मौके व रेकर्ड अनुसार जांच हेतु दिनांक 24.7.2023 को तहसीलदार, सिरोही, भू अभिलेख निरीक्षक रामपुरा व पटवारी हल्का गोल मौके पर आये व मौके की रेकर्ड अनुसार जांच की गई। मौके पर जांच करने पर

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

पाया कि खसरा संख्या 480 में से एक रास्ता जो आगे खसरा संख्या 484 की ओर जा रहा है उसे उड रोड की साइड से एवं खसरा संख्या 484 के किनारे पर दोनों और बबूल की झाडियां काटकर अवरुद्ध किया हुआ पाया गया। मौके पर जांच के वक्त उपस्थित प्रत्यर्थी डायालाल ने तहसीलदार, सिरोही को बताया कि प्रार्थना पत्र में जो करीमी से रास्ता होना अंकित किया है वह यही रास्ता है जो रेकर्ड में दर्ज नही होने से बन्द कर दिया है। मौके पर अवरुद्ध कर दिया उक्त रास्ता खसरा संख्या 480 में स्थित है जो रामलाल वगैराह की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिस पर तहसीलदार, सिरोही, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थी को सुखाचार के तहत खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते के प्रबन्ध हेतु रास्ता खोले जाने हेतु खातेदार श्री रमेा कुमार को उसके मोबाईल फोन पर सूचना देकर अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया गया है एवं प्रत्यर्थी डायालाल को स्थायी रुप से रास्ता आवंटन होने तक रास्ते को बन्द नही करने की हिदायत दी गई। इस रास्ते के अलावा प्रत्यर्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने का और कोई रास्ता नही है व तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रत्यर्थी को स्थायी रास्ता आवंटन होने तक अस्थाई उपयोग हेतु वैकल्पिक रास्ता जो कदीमी से उपयोग में आ रहा था उस रास्ते को खुलवाया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी डायालाल ने उसकी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कदीमी रास्ते को रमेश कुमार द्वारा बन्द करने से बन्द रास्ते को खुलवाने के लिये तहसीलदार, सिरोही को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी मौके व रेकर्ड अनुसार जांच करके मौके पर अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा तहसीलदार, सिरोही से प्राप्त संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी डायालाल पुत्र हीराराम जी, जाति– कुम्हार, निवासी– गोल ने तहसीलदार, सिरोही को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.5.2023 को प्रस्तुत कर कृषि भूमि का रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी डायालाल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि "उसके स्वयं की कृषि भूमि खसरा संख्या 484, 349, 350, 353, 354, 458, 461, 462, 464, 465, 467 में है और उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 484 व 486 से लगती हुई है व गोल से उड जाने वाले रास्ते पर स्थित है, मेरी कृषि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 485 व 486 से पगदण्डी का कई वर्षो से उपयोग प्रार्थी व अन्य लोग करते है एवं उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु एकमात्र रास्ता हैं। खसरा संख्या 485 व 486 के खातेदारों में एक खातेदार रमेश कुमार पुत्र छोगाराम जी कुम्हार द्वारा उक्त रास्ते को कांटो की बाड से बंद कर दिया है।" जिस पर तहसीलदार, सिरोही द्वारा जरिये क्रमांक/राजस्व/2023/677 दिनांक 24.5.2023 से उक्त प्रार्थना पत्र मूल ही पटवारी हल्का, गोल को मौके व राजस्व रेकर्ड के आधार पर नियमानुसार रास्ता खुलवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया।

इस संबंध में अपीलार्थी रामलाल का यह कथन है कि "अपीलार्थी की कृषि भूमि ग्राम गोल, पटवार हल्का गोल में खसरा संख्या 480 रकबा 0.9100 हेक्टेयर आई हुई है। प्रत्यर्थी डायालाल की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 484, 349, 350, 353, 354, 458, 461, 462, 464, 465, 466 व 467 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता कदीमी से खसरा संख्या 461 से लगते हुए आया हुआ है जहां पर ग्रेवल रास्ता बना हुआ है और ट्रेक्टर इत्यादि भी वहीं से आते जाते है, लेकिन वर्तमान में अपीलार्थी के कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में आई हुई ग्रेवल सड़क को पक्की डामर सडक बनाई है जिससे प्रत्यर्थी डायालाल ने अपने लिये नजदीकी रास्ता प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 90/2023 उर्मिला देवी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

व अन्य के विरुद्ध यह कथन करते हुए पेश किया है कि मेरा कदीमी से रास्ता खसरा संख्या 485 व 486 में से आया हुआ है एवं यह प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।'' अपीलार्थी का यह भी कथन है कि ''प्रत्यर्थी तहसीलदार, सिरोही ने जिस जगह पर रास्ता खोलने की कारवाई की है, वहां से बरसाती पानी आता जाता है और बरसाती पानी के नाले के रुप में छोडी हुई भूमि को रास्ता मानकर गलत रुप से कांटो की बाड हटाकर अपीलार्थी की कृषि भूमि से रास्ता देने की कारवाई की है, जबकि प्रत्यर्थी डायालाल अपना रास्ता खसरा संख्या 485 व 486 में होना बता रहा है और प्रार्थना पत्र भी खसरा संख्या 485 व 486 में से रास्ते हेतु ही दिया है।''

पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.7.2023 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर यह पया गया कि प्रत्यर्थी डायालाल के उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच हेतु दिनांक 24.7.2023 को तहसीलदार, सिरोही, भू अभिलेख निरीक्षक रामपुरा व पटवारी हल्का, गोल मौके पर गये। मौके पर जांच करने पर खसरा संख्या 480 में से एक रास्ता जो आगे खसरा संख्या 484 की ओर जा रहा है उसे उड रोड की साइड से खसरा संख्या 484 के किनारे पर दोनों और बबूल की झाडिया काटकर अवरुद्ध किया हुआ पाया व मौके पर उपस्थित डायालाल पुत्र हीराराम ने बताया कि उसके खेत में जाने का यही एक मात्र रास्ता है, लेकिन रेकर्ड में दर्ज नही होने से रमेश कुमार पुत्र छोगाजी कुम्हार व अन्य ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। मौके पर उक्त अवरुद्ध रास्ता खेत खसरा संख्या 480 में स्थित है जो रामलाल वगैरह की संयुकत खातेदारी भूमि है। उक्त मौका फर्द में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी को सुखाचार के तहत खेत में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते के प्रबन्ध हेतु रास्ता खोले जाने हेतु रमेश कुमार के मोबाईल पर सूचित कर रास्ते को खुलवाया गया एवं प्रार्थी डायालाल को स्थायी रास्ता आवंटन होने तक उक्त रास्ते को बन्द नही करने की हिदायत दी गई। इस प्रकार, उक्त मौका फर्द के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर अवरुद्ध रास्ते को सुखाचार के तहत प्रत्यर्थी डायालाल को उसकी कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ते के प्रबन्ध हेतु खुलवाया गया है, जो स्थायी रास्ते का आवंटन होने तक खुलवाया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के कथानुसार प्रत्यर्थी डायालाल द्वारा उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में उर्मिला देवी व अन्य के विरुद्ध उसकी कृषि भूमि में आने हेतु खसरा संख्या 485 व 486 में से रास्ता प्राप्त करने हेतु एक वाद प्रस्तुत किया है जो प्रकरण संख्या 90/2023 न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी को इस विवाद के निस्तारण के लिये उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय *सिरोही* राजस्थान
सत्यमेव जयते